41

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1429–एक/2010 – विरूद्व आदेश दिनॉक 3–8–2010 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 414/अ–56/2008–09 निगरानी

पन्नूलाल पुत्र झाडूलाल मेहरा
ग्राम सिमरिया तहसील लखनादौन
जिला सिवनी मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

शिवकुमार पुत्र लखनलाल मेहरा
ग्राम सिमरिया तहसील लखनादौन
जिला सिवनी मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री अनिल गुप्ता)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री वृजेन्द्र धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 4–8 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 414/अ–56/2008–09 निगरानी में पारित दिनांक 3–8–2010 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार लखनादौन ने प्रकरण कमांक 3/अ–56/07–08 मे पारित आदेश दिनांक 15–5–2008 से अनावेदक

को ग्राम सिमरिया का कोटवार नियुक्त किया , जिससे आवेदक का आवेदन अमान्य रहा। आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के समक्ष अपील कमांक 31 अ–56/2007–08 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–10–08 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 15–5–08 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 414/अ–56/2008–09 निगरानी में पारित दिनांक 3–8–2010 से अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन का अपील कमांक 31 अ–56/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 21–10–08 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा लेखी तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। लेख तर्कों का एंव उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ प्रकरण में सुनवाई के दौरान 14–9–15 को उभय पक्ष के अभिभाषकों ने दोनों पक्षों के बीच हुये राजीनामा करार प्रस्तुत किया था, किन्तु उनके व्दारा उस पर कायम न रहकर प्रकरण में लेखी तर्क प्रस्तुत कर पक्षकारों के पक्ष में लेखी बहस प्रस्तुत की है । लेखी बहस पर एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों अनुसार विचार करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–10–08 में निष्कर्ष दिया है कि पन्नूलाल की नियुक्ति का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की ओर से है एंव संहिता की धारा 230 के अंतर्गत निर्मित कोटवारी नियम 7 के अनुसार कोटवार ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में कार्य करता है इसलिये ग्राम पंचायत की राय को तहसीलदार ने महत्व न देने में भूल की हैं, इसलिये तहसीलदार के आदेश को उन्होंने निरस्त किया है। विद्वान अनुविभागीय अधिकारी के इस निष्कर्ष से अपर आयुक्त ने सहमत न होते हुये आदेश दिनांक 3–8–10 में निष्कर्ष दिया है कि कोटवारी नियम 4 में सॅशोधन होकर कोटवार पद रिक्त होने पर राजस्व अधिकारी जिसे नियुक्त करने के प्राधिकृत किया गया है सम्बन्धित ग्रामसभा व्दारा पारित

संकल्प प्राप्त करने के वाद पात्र व्यक्ति को कोटवार पद नियुक्त करेगा, इसलिये उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को पलटते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 15–5–2008 को स्थिर रखा है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 230 में हुये नवीन सँशोधन अनुसार ग्राम पंचायत के अभिमत वावत् इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :–

3. ग्राम पंचायत का संकल्प – राजस्व अधिकारी व्दारा नियुक्ति के लिये प्राधिकृत होने पर किसी ग्राम में कोटवार का पद रिक्त होने पर उस ग्राम की ग्राम पंचायत व्दारा सम्यक् रूप से संकल्प पारित किये जाने के उपरांत किसी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को कोटवार के पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

स्पष्ट कि ग्राम सभा का संकल्प कोटवार पद पूर्ति हेतु लिया जाना लाजमी है और विचाराधीन प्रकरण में पन्नूलाल की नियुक्ति का प्रस्ताव ग्राम पंचायत से प्राप्त हुआ है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन व्दारा अपील कमांक 31 अ–56/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 21–10–08 अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 414/अ–56/2008–09 निगरानी में पारित दिनांक 3–8–2010 से उचित प्रतीत होता है जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 414/अ–56/2008–09 निगरानी में पारित दिनांक 3–8–2010 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के वाद तहसील न्यायालय में उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने का समुचित उपचार प्राप्त होगा ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 414/अ–56/2008–09 निगरानी में पारित दिनांक 3–8–2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता एंव निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर